FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम (SDO) [illegible]

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा 111, 128 L.R. Act नं. 195/19 सन

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री [illegible] ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08.07.19 को पेश हो।	
8/07/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी बाद दोपहर दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 09/10/19 को पेश हो।	
09/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 30/12/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SDO) [illegible]	
30/12/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 26/02/2020 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:42:57 IST
Reason: SelfAttested

26/02/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई, विपक्षीगण स्वयं या इनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 18/03/2020 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बापतु

18/03/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेढा लेन आये हुए हैं। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के बिच जो पुरानी मांडे व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं। जिससे प्रार्थी को अपने खेत के लेनों का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इस वजह से प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के लेनों को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के लेनों का सही ज्ञान करने हेतु नेयमबंदी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेयमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेयमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेयमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किड़ा को कमिश्नर व सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेयमबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमाकराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली अमल बुमार के दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:42:57 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/10/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित / प्रार्थी अधिवक्ता की पूर्व मे बहस सुनी गयी। प्रार्थी का आवेदन पूर्व मे स्वीकार किया जा चुका है। आवेदन मे आदेश लिखने से वंचित रह गया था, आदेश लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:42:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

/आवेदन/2020/802 दिनांक :– 21/10/2020

राजस्व आवेदन संख्या –195/2019

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्री लखसिंह पुत्र हरदानसिंह
जाति–राजपूत
निवासी–धांधुपुरा,
तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

श्री जसवन्तसिंह पुत्र आईदानसिंह
वगैरा 34, निवासी–धांधुपुरा,
तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा–मुकनगढ़, पटवार मण्डल–खोखर, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 527 रकबा 11.08 बीघा, मौजा–धांधुपुरा, पटवार मण्डल–खोखर, तहसील–गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 236, 238, 246, 247, 455/248 रकबा क्रमशः 00.11, 00.09, 00.03, 00.19, 44.08 बीघा व मौजा–चाबावास, पटवार मण्डल–खोखर, तहसील–गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 347, 348, 552/348 रकबा क्रमशः 00.05, 47.13, 00.17 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक :– 21/10/2020

क्रमांक/आवेदन/2020/803-807

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, खोखर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री लखसिंह पुत्र हरदानसिंह।
4. विप्रार्थीगण श्री जसवन्तसिंह पुत्र आईदानसिंह वगैरा 34।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:42:57 IST
Reason: SelfAttested